न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /निगरानी/2018

कृष्ण कुमार आदि —— आवेदकगण

बनाम

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर

—— अनावेदक

आवेदन पत्र वास्ते आदेश में त्रुटि सुधार किये जाने बावत्।

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

1– यहकि, माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक निगरानी/3166/2018/अशोकनगर/भू.रा. में पारित आदेश दिनांक 13.09.2018 आदेश पारित किया गया है, जिसमें टायपिंग त्रुटि हो गयी है। आदेश के अंतिम पैरा नं.2 की दूसरी लाईन में सर्वे क्रमांक 771 लिखा गया है, जबकि उक्त सर्वे क्रमांक 741 लिखा होना था।

2– यहकि, आदेश के अंतिम पैरा नं.8 की चौथी लाईन में दिनांक 18.04.2002 लिखा गया है, जिसके स्थान पर दिनांक 18.08.2002 लिखा जाना चाहिए था, उक्त त्रुटि सुधार किया जाना न्यायोचित है।

अतः श्रीमान् न्यायालय प्रार्थना है कि आवेदकगण का आवेदन पत्र स्वीकार कर उक्त त्रुटि सुधार किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

दिनांक 05.10.2018

प्रार्थीगण,

कृष्ण कुमार आदि —— आवेदकगण

द्वारा अभिभाषक

अवध किशोर ठाकुर एवं

सुनील सिंह जादौन, एडवोकेटस्

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक विविध 6042/2018/अशोकनगर/भूरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआ . दि के हस्ताक्षर
25 –10–18	आवेदक के अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित होकर उनके द्वारा आवेदन पत्र वास्ते धारा 152 सी0 पी0 सी0 का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया है कि प्रकरण क्रमांक निगरानी 3166/2018/अशोकनगर/भूरा में पारित आदेश दिनांक 13.9.18 में आदेश के पैरा नंबर 2 की दूसरी लाईन में सर्वे क्रमांक 771 त्रुटि पूर्ण लिखा गया जबकि उक्त सर्वे क्रमांक 741 लिखा होना था। इसी प्रकार टाइपिंग त्रुटि से आदेश के अंतिम पैरा नंबर 8 की चौथी लाईन में दिनांक 18.4.2002 लिखा गया है जबकि दिनांक 18.8.2002 लिखा होना चाहिये था। 2–आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता तथा आदेश के पैरा नबंर–2 की दूसरी लाईन में सर्वे क्रमांक 771 के स्थान पर 741 पढ़ा जावे एवं इसी आदेश के अंतिम पैरा नंबर 8 की चौथी लाईन में दिनांक 18.4.2002 के स्थान पर 18.8.2002 पढ़ा जावे। यह आदेश पत्रिका आदेश का मूल अंग मानी जावेगी। सदस्य	